पत्र संख्या-सा०नि०क०-3-0-206।87---994।सा०पुं०
बिहार सरकार
साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग

प्रेषक

श्री विजेयन्द्र किशोर शर्मा,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 10 मई, 1990

विषय:---प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त झोपड़ी। गृह की परिभाषा ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सूचित करना है कि प्राकृतिक आपदा से झोपड़ी। मकानों को किस स्थिति में क्षतिग्रस्त मानकर गृह निर्माण अनुदान अनुमान्य होगा इस विन्दु पर कई जिलों से कुछ भ्रांतियों की सूचना मिली है।

सरकार ने पूर्ण समीक्षोपरान्त निर्णय लिया है कि अगर प्राकृतिक आपदा से कच्चे मकान। झोपड़ी की छत पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है तो उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मानकर मरम्मत के लिये नियमानुसार अनुदान अनुमान्य होगा अगर कच्चे मकान।झोपड़ी की छत पूरी तरह ध्वस्त नहीं होती है तथा छत में थोड़ी बहुत क्षति होती है अथवा दीवाल थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त होती है तो वैसी क्षति के लिये कोई गृह निर्माण अनुदान देय नहीं होगा।

अगर प्राकृतिक आपदा से कच्चा मकान।झोपड़ी पूरी तरह(दीवाल एवं छत सहित) ध्वस्त हो जाती है तो उस स्थिति में नियमानुसार पुनर्निर्माण हेतु अधिकतम राशि 750(सात सौ पचास) रुपये तक देय होगी।

विश्वासभाजन,

विजयेन्द्र किशोर शर्मा,
सरकार के उप-सचिव।